जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 04.09.2024

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित 01 बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री केशवनाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना बेलहरकला पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 208/2024 धारा 137(2), 87 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट से संबंधित 01 वांछित बाल अपचारी को उसके घर ग्राम पजराभीरी से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा थाना बेलहरकला पर दिनांक 03.09.2024 को उक्त बाल अपचारी द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी की गयी तथा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर उक्त बाल अपचारी को आज दिनांक 04.09.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** उ0नि0 श्री अनुज कुमार, का0 सुमित विश्वकर्मा, का0 अनिल कुमार यादव।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना बखिरा पुलिस** द्वारा वारण्टी नाम पता सोहरत अली पुत्र निसार अहमद निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री शम्भूराम, हे0का0 कोमल प्रसाद, का0 अनुराग गुप्ता, का0 दीपक कुमार ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3314 द्वारा सड़क मार्ग में ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर दिवाल से टकरा जाने के कारण 01 व्यक्ति को इलाज हेतु भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3314 को थाना मेहदावल क्षेत्रांतर्गत समोगर से इवेन्ट संख्या 48496 से कालर द्वारा सड़क मार्ग में ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर दिवाल से टकरा जाने के कारण 01 व्यक्ति (1- सोनू सिंह पुत्र रणजीत सिंह, उत्तर पट्टी थाना मेहदावल, जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया,

सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु एम्बुलेंश 108 की सहायता से सीएचसी मेहदावल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना मेहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 मयंक शेखर राय, हो0गा0चा0 वशील अहमद।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 50 वाहनों से 60,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 04.09.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 50 वाहनों से 60,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना धनघटा पुलिस** द्वारा वारण्टी नाम पता 1. गोपाल पुत्र चन्द्रजीत निवासी बारीडीहा थाना धनघटा जनपद सन्त कबीर नगर 2. ताड़केश्वर पुत्र रामजीत निवासी बारीडीहा थाना धनघटा जनपद सन्त कबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव, हे0का0 आनन्द कुमार दूबे, का0 आनन्द पटेल।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या के मामले में 03 अभियुक्तो को पाँच-पाँच वर्ष के सश्रम करावास व कुल 1,56,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास से फलस्वरुप आज दिनांक 04.09.2024 को ***श्रीमान न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना को0 खलीलाबाद* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1901/2014 धारा 304/34, 504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. झीनक पुत्र बदरी 2. रामकिशुन पुत्र घुट्टू 3. राज किशोर पुत्र रामकिशुन निवासीगण उमरीखुर्द थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को अंतर्गत धारा 323/34, 304 (पार्ट II) भादवि के तहत दोषसिद्ध किया गया है व अंतर्गत धारा 304/34, 504, 506 भादवि के तहत दोषमुक्त किए गए हैं। उपरोक्त अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 304 (पार्ट II) भादवि के अपराध में 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उपरोक्त अभियुक्तगण को धारा 323/34 भादवि0 के अपराध में 01-01 वर्ष का कारावास व 2000- 2000रु0 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 03-03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को उपरोक्त सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा। अर्थदंड अदा होने पर अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि में से मृतक के पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में यातायात प्रभारी द्वारा ओवर स्पीडिंग एवं ड्रिंग एण्ड ड्राइव के विरुद्ध चलाया गया अभियान

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में प्रभारी यातायात ***श्री परमहंस*** द्वारा मेंहदावल बायपास पर यातायात सुरक्षा के दृष्टिगत आज दिनांक 04.09.2024 को ओवर स्पीडिंग एवं ड्रिंग एण्ड ड्राइव के विरुद्ध अभियान चलाया गया तथा यातायात नियमों का अनुपालन न करने वालों का चालान किया गया। वाहन चलाते समय तीन सवारी न बैठने, बिना नम्बर प्लेट लगी वाहन न चलाने, नशे की हालत में गाड़ी न चलाने, वाहन को ओवर स्पीड से न चलाने के साथ लोगों से अपील किया गया। अपील की गयी कि वे अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट के प्रयोग करने हेतु प्रेरित करने की भी अपील की गयी।